न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3212 /विधि सहरसा, दिनांक 01-11-2023

प्रतिलिपि :- तारा कुमारी, पति-उपेन्द्र राम, सा0-वसुआ, वार्ड नं0-02, पंचायत-बसबिट्टी, थाना+प्रखंड+जिला-सुपौल को आयुक्त न्यायालय के ~~सूचना निमित्त~~ अपील वाद सं0-159/2023 में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

सा0-वसुआ, वार्ड नं0-02, पंचायत-बसबिट्टी, थाना+प्रखंड+जिला-सुपौल के द्वारा आगनबाड़ा अपील वाद सं0-07/2022 में समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक 17.10.2023 को नामांकन के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा संबंधित आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-07/2022 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 से आच्छादित है। उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा"। उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को पोषणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या–159/2023

तारा कुमारी .....पुनरीक्षणकर्त्ता

–बनाम–

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद तारा कुमारी, पति–उपेन्द्र राम, सा0–वसुआ, वार्ड नं0–02, पंचायत–बसबिट्टी, थाना+प्रखंड+जिला–सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–07/2022 में समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक 17.10.2023 को नामांकन के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा संबंधित आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–07/2022 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 से आच्छादित है। उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका–13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक–1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा"। उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को पोषणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।